

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प०३५/2018/144

दिनांक : 6.../04/2018

1. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,  
मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

**विषय : पदस्थापित चिकित्सकों की वर्तमान स्थिति की जानकारी से अवगत करवाने बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके जिले/अधीनस्थ पदस्थापित थे/चल रहे हैं तथा कार्यरत चिकित्सकों का वेतन किस पद से व किस संस्थान से आहरित किया जा रहा है, की वर्तमान स्थिति की जानकारी से निदेशालय को निम्न प्रोफार्मा में तैयार कर अवगत करावें :-


क्र. सं.	जिला	संस्थान का नाम	संस्थान (MED COLL/ DH/SAT/ SDH/ CHC /PHC)	स्वीकृत पदनाम	विशिष्टता	स्वीकृत पद की संख्या
1	2	3	4	5	6	7

चिकित्सक का नाम	चिकित्सक का पदनाम	ग्रेड-पे	जन्म तिथि	कार्यग्रहण की तिथि	चयनित वर्ष (आरपीएससी/ आरयूएचएस/ एडहॉक)	कार्यव्यवस्था के तहत कार्यरत संस्थान का नाम व आदेश क्रमांक व दिनांक	वेतन आहरित संस्थान का नाम
8	9	10	11	12	13	14	15

**नोट :** उपरोक्त सूचना प्रत्येक माह के अन्त में Excel Sheet में Font Calibri, Font Size 11 में तैयार कर Soft Cop/ में ई-मेल आईडी atc.gaz@gmail.com एवं addldirgaz@gmail.com पर तथा हार्ड कोपी भी भिजवाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त सूचना समय पर उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर संबंधित नियंत्रण अधिकारी तथा संबंधित लिपिक के विरुद्ध के नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी, जिसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

**संलग्न : समय सारणी**

  
अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर।

कृ.पू.उ.

क्रमांक : राजपत्रित/सी/प03/2018/144

दिनांक : 6/04/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1 एवं 2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1 एवं 2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन सीएमएचओ व पीएमओ से संबंधित सूचना तैयार करवाकर भिजवाना सुनिश्चित करावें तथा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर आप व्यक्तिगत उत्तरदायी होंगे।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लक्ष्य है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट/संबंधित की ई-मेल आई.डी. पर डलवाना सुनिश्चित करावें।
7. निजि/रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।